

हिमाचल प्रदेश सरकार  
परिवहन विभाग

संख्या : टी.पी.टी.-ए (2)/2 2003 पार्ट 11, तारीख शिमला-2 15/03/2012

**अधिसूचना**

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1968 की धारा 20 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 3 ग के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 15-2-2012 को राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना तारीख 15-2-2012, जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1972, से संलग्न अनुसूचि -1 में संशोधन किया गया था, को विखंडित करती है ।

2 . हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम , 1972 की धारा 3 सी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम, की विद्यमान अनुसूचि-1 का और संशोधन निम्न प्रकार से करती है , अर्थात् :-

**अनुसूचि -1 का संशोधन :-** हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 से संलग्न अनुसूचि -1 में क्रम संख्या: 2(1), क्रम संख्या: 2(2), क्रम संख्या: 3(3), और क्रम संख्या: 3(4), क्रम संख्या: 4 और क्रम संख्या: 6(i) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् :-

क्रम संख्या	यानों का विवरण	कर की वार्षिक दर
2(1)	साधारण /एकप्रेस /सैमीडीलक्स /वातानुकूलित बसें	35000/-रुपए (केवल पैंतीस हजार रुपए)
2(2)	मिनी बसें	25000/-रुपए (केवल पच्चीस हजार रुपए)
3(3)	ओटो रिक्शा	5000/- रुपए (केवल पांच हजार रुपए)
3(4)	कॉन्टैक्ट कैरिज के लिए बसें	52000/-रुपए (केवल बावन (हजार रुपए)
4	समस्त प्राईवेट (निजी) संस्थाओं के स्वामीत्वाधिन प्राईवेट (निजी) सेवायान /बसें और उपर्युक्त क्रम संख्या: 2 और 3 के अधीन न आने वाली अन्य बसें	30000/- रुपए (केवल तीस हजार रुपए)

6(i)	हल्के (अधिकतम 7.5 टन से अनधिक परिमाण )	20000/-रुपए ( केवल बीस हजार रुपए )
------	--	------------------------------------

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (परिवहन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार

(Authoritative English Text of this department notification NO. TPT-A(2)/2003-Part-II , dated 15/03/2012 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh  
Department of Transport

File No.TPT-A(2)/2003-Part-II

Dated:Shimla-2 the 15/03/2012

#### NOTIFICATION

The Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested under Section-3-C of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 read with Section-20 of the Himachal Pradesh General Clauses Act, 1968 is pleased to rescind this department notification of even number dated 15/02/2012 , published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 15/02/2012, whereby amendment to Schedule-I appended to the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 had been carried out.

2. The Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by Section-3-C of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972, is further pleased to amend the Schedule-I of the Act, as under, namely:-

**“Amendment to Schedule-I :-** In Schedule-I appended to the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972, for the existing provisions against Sr No:2 (1), Sr No:2 (2), Sr.No : 3(3) and Sr No: 3(4), Sr No: 4 and Sr No:6 (i) the following shall be substituted, namely:-

Sr. NO.	Description of Vehicles	Annual rate of tax
---------	-------------------------	--------------------

2(1)	Ordinary/ express/ semi deluxe/ Air conditioned buses	Rs. 35,000/- (Thirty five thousand only)
2(2)	Mini Buses	Rs. 25,000/- (Twenty five thousand only)
3(3)	Auto Rickshaws	Rs.5000/- (Five thousand only)
3(4)	Buses for contract carriages	Rs.52,000/- (Fifty two thousand only)
4	Private Service Vehicles/ buses owned by all private Institutions and other buses not covered under Sr. No. 2& 3 above.	Rs. 30,000/- (Thirty thousand only)
6(i)	Light (Maximum mass not exceeding 7.5 tonnes).	Rs.20,000/- (Twenty thousand only)

**BY ORDER**

**Principal Secretary (Transport) to the  
Government of Himachal Pradesh.**

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

संख्या : टी.पी.टी.-ए (2)/2 2003 पार्ट 11, तारीख शिमला-2 15/03/2012

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 3 की उप धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0(ए) 2 2/2003 –पार्ट 1, तारीख 11-6-2007 के क्रम में और आंशिक उपरान्तरण में तथा सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0(ए) 2 2/2003 –पार्ट 11, तारीख 4-2-2012 के अधिक्रमण में, आदेश देती है कि उक्त अधिसूचनाओं के क्रम संख्या: 4 पर दर्शाई गई विद्यमान मद के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात :-

“ 4	1000 सी. सी से उपर के ईजन क्षमता वाले निजी मोटरयान	निजी मोटरयान की कीमत का तीन प्रतिशत (3%)”।
-----	--	--

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (परिवहन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार

(Authoritative English text of the Government notification NO: TPT-A(2)2/2003-Part-II, dated 15/03/2012 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh  
Department of Transport.

NO: TPT-A(2)2/2003-Part-II Dated: Shimla-2 the 15/03/2012.

NOTIFICATION.

In continuation and partial modification of this department notification number TPT-A(2)2/2003-Part-I, dated 11/06/2007 and in supersession of this department notification NO: TPT-A(2)2/2003-Part-II, dated 04/02/2012 as published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 08/02/2012, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred under Sub-section (2) of Section-3 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972, is pleased to order that for the existing item appearing at Sr NO: 4 of the said notifications the following shall be substituted, namely:-

"4.	Personal Motor Vehicles having engine capacity above 1000 CC	Three percent (3 %) of the price of the personal motor vehicle."
-----	--	--

BY ORDER

Principal Secretary (Transport) to the  
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार  
परिवहन विभाग

संख्या : टी.पी.टी.-ए (2)/2 2003 पार्ट 11, तारीख शिमला-2 15/03/2012

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 8-2-2012 को

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में यथा प्रकाशित इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 4-2-2012 के अधिकरण में आदेश देती है कि अधिनियम की अनुसूची -1 के स्तम्भ -2 में वर्णित मोटरयानों पर, जो हिमाचल प्रदेश में उपयोग में लाए गए या उपयोग के लिए रखे गए हैं, निम्न प्रकार से विनिर्दिष्ट दरों पर वार्षिक कर को उदग्रहित , प्रभारित और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा :-

क्रम संख्या	यानों का विवरण	कर की दर
<b>1.</b>	<b>माल वाहन (गुडज कैरिज)</b>	
	i (क) हल्के मोटरयान (रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रथम 15 वर्षों के लिए)	1500/- रूपए प्रति वर्ष
	(ख) हल्के मोटरयान (15 वर्षों के पश्चात)	1650/- रूपए प्रति वर्ष
	ii (क) मध्यम मोटरयान (रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रथम 15 वर्षों के लिए )	2000/- रूपए प्रति वर्ष
	(ख) मध्यम मोटरयान (15 वर्षों के पश्चात)	2200/- रूपए प्रति वर्ष
	iii (क) भारी मोटरयान (रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रथम 15 वर्षों के लिए )	2500/- रूपए प्रति वर्ष
	(ख) भारी मोटरयान ( 15 वर्षों के पश्चात)	2750/- रूपए प्रति वर्ष
<b>2</b>	<b>मंजली गाडिया (स्टेज कैरिज )</b>	
	i (क) साधारण /एकप्रेस /सैमीडीलक्स /डीलक्स /वातानुकूलित बसें (रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रथम 15 वर्षों के लिए )	500/- रूपए प्रति सीट, प्रति वर्ष (अधिकतम 35000 /- रूपए प्रति वर्ष के अध्यक्षीन )
	(ख) साधारण /एकप्रेस /सैमीडीलक्स /डीलक्स /वातानुकूलित बसें (15 वर्षों के पश्चात )	550/- रूपए प्रति सीट, प्रति वर्ष (अधिकतम 35000 /- रूपए प्रति वर्ष के अध्यक्षीन)
	ii (क) मिनी बसें (रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रथम 15 वर्षों के लिए )	500/- रूपए प्रति सीट, प्रति वर्ष (अधिकतम 25000 /- रूपए प्रति वर्ष के अध्यक्षीन)
	(ख) मिनी बसें (15 वर्षों के पश्चात )	550/- रूपए प्रति सीट, प्रति वर्ष

		(अधिकतम 25000 /- रूपए प्रति वर्ष के अध्यक्षीन)
3	<b>संविदा गाडी (कांट्रैक्ट कैरेज )</b>	
	(i) मैक्सी कैव	750 /-रूपए प्रति सीट, प्रति वर्ष (अधिकतम 15000 रू0 प्रति वर्ष के अध्यक्षीन)
	(ii) मोटर कैव	350 /- रूपए प्रति सीट, प्रति वर्ष (अधिकतम 10000 रू0 प्रति वर्ष के अध्यक्षीन)
	(iii) ओटो रिक्शा	200 /- रूपए प्रति सीट, प्रति वर्ष (अधिकतम 5000 रू0 प्रति वर्ष के अध्यक्षीन)
	(iv) कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के लिए बसें	1000 /- रूपए प्रति सीट, प्रति वर्ष (अधिकतम 52000 /- रूपए प्रति वर्ष के अध्यक्षीन)
4	(क) समस्त प्राईवेट (निजी) संस्थाओं के स्वामीत्वाधीन निजी सेवायान / बसें और उपर्युक्त कम संख्या 2 और 3 के अधीन न आने वाली अन्य बसें (रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रथम 15 वर्षों के लिए )	500 /- रूपए प्रति सीट, प्रति वर्ष (अधिकतम 30000 /- रूपए प्रति वर्ष के अध्यक्षीन)
	(ख) समस्त प्राईवेट (निजी) संस्थाओं के स्वामीत्वाधीन निजी सेवायान / बसें और उपर्युक्त कम संख्या: 2 और 3 के अधीन न आने वाली अन्य बसें ( 15 वर्षों के पश्चात )	550 /- रूपए प्रति सीट, प्रति वर्ष (अधिकतम 30000 /- रूपए प्रति वर्ष के अध्यक्षीन)
5	(क) वाणिज्यिक संगठन के स्वामित्व वाली प्राईवेट (निजी) सेवा मोटर कैबज तथा जिनका प्रयोग भाडे के लिए या पारिश्रमिक के लिए पाबन्दी से अन्यथा ऐसे यानों के स्वामी की ओर से उसके व्यापार या कारबार के लिए या उसके	500 /- रूपए प्रति सीट, प्रति वर्ष (अधिकतम 12000 /- रूपए प्रति वर्ष के अध्यक्षीन)

	सम्बन्ध में व्यक्तियों को लाने ले जाने के प्रयोजन के लिए किया जाता है ( रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रथम 15 वर्षों के लिए )	
	(ख) वाणिज्यिक संगठन के स्वामित्व वाली प्राईवेट (निजी) सेवा मोटर कैबज तथा जिनका प्रयोग भाडे के लिए या पारिश्रमिक के लिए पाबन्दी से अन्यथा ऐसे यानों के स्वामी की ओर से उसके व्यापार या कारबार के लिए या उसके सम्बन्ध में व्यक्तियों को लाने ले जाने के प्रयोजन के लिए किया जाता है (15 वर्षों के पश्चात )	550 /- रूपए प्रति सीट, प्रति वर्ष (अधिकतम 12000 /- रूपए प्रति वर्ष के अध्यक्षीन)
6	सन्निर्माण उपस्कर यान एवं केन माउंटिड यान ।	
	(i) हल्का (7.5 टन से अनधिक अधिकतम परिमाण)	8000 /-रूपए प्रतिवर्ष
	(ii) मध्यम (7.5 टन से अधिक अधिकतम परिमाण परन्तु 12 टन से अधिक नहीं )	11000 /-रूपए प्रतिवर्ष
	(iii) भारी (12 टन से अधिक अधिकतम परिमाण )	14000 /-रूपए प्रतिवर्ष
7	रिकवरी वेन	
	(i) हल्का (7.5 टन से अनधिक अधिकतम परिमाण)	5000 /-रूपए प्रतिवर्ष
	(ii) मध्यम (7.5 टन से अधिक अधिकतम परिमाण परन्तु 12 टन से अधिक नहीं )	6000 /-रूपए प्रतिवर्ष
	(iii) भारी (12 टन से अधिक अधिकतम परिमाण)	7000 /-रूपए प्रतिवर्ष
8	रोगी वाहन	1500 /-रूपए प्रतिवर्ष
9	शव वाहन	1500 /-रूपए प्रतिवर्ष

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (परिवहन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार

(Authoritative English text of the Government notification NO: TPT-A(2)2/2003-Part-II, dated 15/03/2012 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh  
Department of Transport.

NO: TPT-A(2)2/2003-Part-II Dated: Shimla-2 the 15/03/2012.

NOTIFICATION.

In supersession of this department notification of even number dated 04/02/2012 as published in Rajpatra Himachal Pradesh on 08/02/2012, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred under Sub-section (1) of Section-3 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972, is pleased to order that there shall be levied, charged and paid to the State Government an annual tax on motor vehicles used or kept for use in Himachal Pradesh described in column 2 of Schedule-I of the Act at the rate specified hereunder:-

Sr. NO	Description of vehicles	Rate of Tax
1.	<b>Goods carriages:</b>	
	(i) (a) Light Motor Vehicles ( <b>for first 15 years from the date of registration</b> )	Rupees 1500/- per annum
	(b) Light Motor Vehicles ( <b>after fifteen years</b> )	Rupees 1650/- per annum
	(ii) (a) Medium Motor Vehicles ( <b>for first 15 years from the date of registration</b> )	Rupees 2000/- per annum
	(b) Medium Motor Vehicles ( <b>after fifteen years</b> )	Rupees 2200/- per annum
	(iii) (a) Heavy Motor Vehicles ( <b>for first 15 years from the date of registration</b> )	Rupees 2500/- per annum
	(b) Heavy Motor Vehicles ( <b>after fifteen years</b> )	Rupees 2750/- per annum.
2.	<b>Stage Carriages:</b>	
	(i) (a) Ordinary/express/semi Deluxe/Deluxe/Air Conditioned buses ( <b>for first 15 years from the date of registration</b> )	Rs. 500/- per seat per annum. (Subject to the maximum of rupees 35,000/- per annum).
	(b) Ordinary/express/semi Deluxe/Deluxe/Air Conditioned buses ( <b>after fifteen</b> )	Rs. 550/- per seat per annum. (Subject to the maximum of rupees 35,000/- per annum).



	<b>years)</b>	
	(ii) (a) Mini Buses( <b>for first 15 years from the date of registration</b> )	Rs. 500/- per seat per annum. (Subject to the maximum of rupees 25,000/- per annum).
	(b) Mini Buses ( <b>after fifteen years</b> )	Rs. 550/- per seat per annum. (Subject to the maximum of rupees 25,000/- per annum).
3.	<b>Contract Carriages:</b>	
	(i) Maxi Cab.	Rs. 750/- per seat per annum. (Subject to the maximum of rupees 15,000/- per annum).
	(ii) Motor Cab.	Rs. 350/- per seat per annum. (Subject to the maximum of rupees 10,000/- per annum).
	(iii) Autorickshaw.	Rs. 200/- per seat per annum. (Subject to the maximum of rupees 5000/- per annum).
	(iv) Buses for contract carriages.	Rs. 1000/- per seat per annum. (Subject to the maximum of rupees 52,000/- per annum).
4.	(a) Private Service Vehicles/ buses owned by all private Institutions and other buses not covered under Sr. NO:2 and 3 above. ( <b>for first 15 years from the date of registration</b> )	Rs. 500/- per seat per annum (subject to maximum of Rs. 30,000/-).
	(b) Private Service Vehicles/ buses owned by all private Institutions and other buses not covered under Sr. NO:2 and 3 above. ( <b>after 15 years</b> )	Rs. 550/- per seat per annum (subject to maximum of Rs. 30,000/-)
5.	(a) Private Service Motor Cabs owned by Commercial organization and used for the purpose of carrying persons on behalf of the owner of such vehicles for or in connection with his trade or business otherwise banned for hire and reward. ( <b>for first 15 years from the date of registration</b> )	Rs. 500/- per seat per annum (subject to maximum of Rs. 12,000).
	(b) Private Service Motor Cabs owned by Commercial organization and used for the purpose of carrying persons on behalf of the owner of such vehicles for or in connection with his trade or business otherwise banned for hire and reward. ( <b>after 15 years</b> ).	Rs. 550/- per seat per annum (subject to maximum of Rs. 12,000).
6.	<b>Construction Equipment Vehicles &amp; Crane Mounted Vehicles.</b>	
	(i) Light (Maximum Mass not exceeding 7.5 tonnes).	Rs. 8000/- per annum.
	(ii) Medium (Maximum Mass exceeding 7.5 tonnes but not more than 12 tonnes).	Rs. 11000/- per annum
	(iii) Heavy (Maximum Mass exceeding 12 tonnes).	Rs. 14,000/- per annum.
7.	<b>Recovery Vans</b>	
	(i) Light (Maximum Mass not exceeding 7.5 tonnes).	Rs. 5000/- per annum.

	(ii) Medium (Maximum Mass exceeding 7.5 tonnes but not more than 12 tonnes).	Rs. 6000/- per annum.
	(iii) Heavy (Maximum Mass exceeding 12 tonnes).	Rs. 7000/- per annum.
8.	Ambulance	Rs. 1500 / per annum
9.	Hearse (dead body van)	Rs. 1500/- per annum.

BY ORDER

Principal Secretary (Transport ) to  
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार  
परिवहन विभाग

संख्या : टी.पी.टी.-ए (2)/2 2003 पार्ट 11,

तारीख शिमला-2 15/03/2012

**अधिसूचना**

हिमाचल प्रदेश मोटरयान व्हीकलज ( प्रथम संशोधन ) नियम, 2012, को समसंख्याक अधिसूचना तारीख 6.2.2012 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 के उपबन्धों के अनुसरण में, इसके प्रकाशन की तारीख से 07 दिन की अवधि के भीतर इससे संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेपों और सुझावों को आमन्त्रित करने के लिए तारीख 8.2.2012 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था।

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जन साधारण से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे।

और उक्त नियमों को इस विभाग की समसंख्याक अधिसूचना तारीख 15.2.2012 द्वारा अधिसूचित कर तारीख 15.2.2012 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में अन्तिमतः प्रकाशित किया गया था।

और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल की यह राय है कि उन दरों, जो उपरोक्त नियमों को अधिसूचित करने से पूर्व विद्यमान थी, को ही लोकहित में प्रभारित किया जाए।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,, निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थातः-

संक्षिप्त नाम ।	1	इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2012
-----------------	---	---

		है ।
नियम 67 का प्रतिस्थापन	2	हिमाचल प्रदेश मोटरयान नियम , 1999 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात “ उक्त नियम “ कहा गया है ) के नियम 67 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा : अर्थात :-
		“ <b>67. अनुज्ञापत्र , प्रतिहस्ताक्षरित करने , प्रदान करने या नवीकृत के लिए आवेदन फीस</b> :- (1) अधिनियम के अधीन अनुज्ञापत्र, प्रतिहस्ताक्षरित करने, प्रदान करने या नवीकृत करने के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित फीस के जमा को दर्शाने वाली नकद रसीद या ट्रेजरी चलान संलग्न किया जाएगा, अर्थात :-

क्र०संख्या	यान का प्रवर्ग	अस्थाई अनुज्ञापत्र	नियमित अनुज्ञापत्र
i	(i) हल्के (माल) मोटरयान	रुपए 10	रुपए 20
ii	(ii) मध्यम / भारी (माल) मोटरयान	रुपए 25	रुपए 50
iii	(iii) संविदा गाडी, (कॉन्टैक्ट कैरिज ) कैबज/ ऑटो रिक्शा	रुपए 10	रुपए 20
iv	(iv) संविदा गाडी (कॉन्टैक्ट कैरिज ) मैक्सी कैबज	रुपए 15	रुपए 30
V	(v) संविदा गाडी (कॉन्टैक्ट कैरिज) बसें	रुपए 25	रुपए 50
Vi	(vi) प्रत्येक क्षेत्र के लिए जीप मंजली गाडी (डाईवर के अतिरिक्त 12 यात्रियों तक बैठने की क्षमता )	रुपए 10	रुपए 20
Vii	(vii) प्रत्येक क्षेत्र के लिए अन्य मंजली गाडी और प्राईवेट (निजी) सेवा यान	रुपए 25	रुपए 100
Viii	(viii) अधिनियम की धारा 88 (8) के अधीन विशेष अनुज्ञापत्र फीस	रुपए 10	

		परन्तु भारत में विदेशी राजदूतावासों को उनके अपने स्वामित्वाधीन परिवहन यानों की बावत जारी किए गए अनुज्ञापत्र के लिए कोई फीस संदेय नहीं होगी ।
		(2) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन या अनुज्ञापत्र के प्रतिहस्ताक्षर के लिए फीस प्राप्त होने पर, प्ररूप एच. पी. 34 आर. पी.एफ. में एक पृथक रसीद तैयार करेगा जो फीस देने वाले व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी ।
नियम-68 का प्रतिस्थापन ।	3	उक्त नियमों” के नियम-68 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-
		“ <b>68. अनुज्ञापत्र और प्रतिहस्ताक्षर के लिए फीस</b> :- (1) अधिनियम के अधीन अनुज्ञापत्र जारी करने, नवीकृत करने और प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए निम्नलिखित फीस संदेय होगी; अर्थात :-

यानों की विशिष्टियां	अनुज्ञापत्र प्रदान करने/नवीकृत करने/प्रतिहस्ताक्षर करने लिए फीस ।
	नियमित प्रथम वर्ष
	प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष ।

<b>(क) माल गाड़ी</b>		
(i) हल्के माल यान	रुपए 200/-	रुपए 125/- (पांच वर्ष के लिए रुपए 700/ )
(ii) मध्यम/ भारी माल यान	रुपए 300/-	रुपए 250/- (पांच वर्षों के लिए 1300/-)
<b>(ख) संविदा गाड़ी ।</b>		
(i) टैक्सी कैबस/ ओटो रिक्शा	रुपए 200/-	रुपए 125/- (पांच वर्ष के लिए रुपए 700/ )
(ii) मैक्सी कैबस	रुपए 250/-	रुपए 150/- (पांच वर्ष के लिए रुपए 850/ )
(iii) संविदा गाड़ी (कान्द्रकैट कैरिज) बसें ।	रुपए 300/-	रुपए 250/- (पांच वर्ष के लिए रुपए 1300/ )

(ग) संविदा गाड़ी के अतिरिक्त अन्य अनुज्ञापत्र प्रदान करने / [नवीकरण/प्रतिहस्ताक्षर](#) के लिए यान फीस क्षेत्र जिसमें अनुज्ञापत्र प्रत्येक क्षेत्र जिसेके लिए प्रदान किया गया नवीकृत अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया नवीकृत प्रतिहस्ताक्षरित किया प्रतिहस्ताक्षरित के लिए हो के लिए अतिरिक्त फीस ।

	प्रथम वर्ष	प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष	प्रथम वर्ष	प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
(1) जीप मंजिली गाड़ी	200	125	125	100
(2) अन्य मंजिली गाड़ियां और निजी सेवा यान	300	250	200	125

		परन्तु जहां धारा 70 या धारा 73 या धारा 76 या धारा 77 के अधीन अनुज्ञापत्र के लिए किसी आवेदन के विचार के लिए लम्बित होने पर, अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी किया गया है, तो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी स्वविवेकानुसार और ऐसे निर्देशों, जो राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा, नियमित अनुज्ञापत्र को प्रदान करते समय जारी किए गए हैं, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन निर्देश दे सकेगा कि अस्थायी अनुज्ञापत्र के लिए संदत की गई किसी फीस के किसी भाग या सम्पूर्ण के बराबर की राशि को नियमित अनुज्ञापत्र के लिए संदेय फीस में से कटौती की जाएगी ;
		परन्तु यह और कि मंजिली गाड़ी की सेवा की दशा में अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट यानों की संख्या के आधार पर अनुज्ञापत्र फीस प्रभारित की जाएगी तथा अनुज्ञापत्र के भाग ख को तदनुसार उतनी संख्या में जारी किया जाएगा ।
		स्पष्टीकरण:-
		(1) इस नियम में प्रयुक्त पद “नियमित अनुज्ञापत्र” से, अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी आवेदन पर विचार करने के पश्चात जारी किया गया, अनुज्ञापत्र अभिप्रेत है ।

		(2) फीस, उस अवधि जिसके लिए अनुज्ञापत्र जारी किया गया है, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को अग्रिम में संदत की जाएगी ।
		(3) अनुज्ञापत्र के लिए फीस प्राप्त करने वाला या अनुज्ञापत्र को प्रतिहस्ताक्षरित करने वाला क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी अनुज्ञापत्र के प्रत्येक भाग ख के लिए हिमाचल प्रदेश प्ररूप 34 आर0 पी0 एफ में अलग रसीद तैयार करेगा, जो फीस देने वाले व्यक्ति को परिदत की जाएगी ।
		(4) यदि, अनुज्ञापत्र तत्पश्चात रद्द कर दिया जाता है तो अनुज्ञापत्र के लिए संदत फीस संपपहृत हो जाएगी ।”
नियम 69 का प्रतिस्थापन	4	“उक्त नियमों,” के नियम 69 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा ; अर्थात :-
		“ <b>69. अस्थायी अनुज्ञापत्रों के लिए फीस :-</b> (1) अस्थायी अनुज्ञापत्र या अस्थायी अनुज्ञापत्र के प्रतिहस्ताक्षर की बाबत, फीस निम्नलिखित होगी:-

क्रम संख्या	यान का प्रवर्ग	अस्थायी और विशेष अनुज्ञापत्र प्रदान करने/प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए अनुज्ञापत्र फीस ।	
		सात दिनों तक	प्रत्येक पश्चात्पूर्ती सप्ताह या उसके भाग के लिए ।
I	<b>(क) माल गाड़ी यान</b>		
	(i) हल्के (माल) मोटर यान	रुपए 50/-	रुपए 25/-
	(ii) मध्यम/भारी (माल) मोटर यान	रुपए 60/-	रुपए 30/-
II	<b>(ख) संविदा गाड़ी (कान्ट्रैकैट कैरिज) यान ।</b>		
	(i) संविदा गाड़ी (कान्ट्रैकैट कैरिज) कैबस /ओटो रिक्शा	रुपए 25/-	रुपए 15/-
	(ii) संविदा गाड़ी (कान्ट्रैकैट कैरिज) मैकसी कैबस	रुपए 50/-	रुपए 25/-
	(iii) संविदा गाड़ी (कान्ट्रैकैट कैरिज) बसें ।	रुपए 75/-	रुपए 30/-
III	<b>(ग) माल और संविदा गाड़ियों से अन्यथा यान</b>	धारा 87 और/या 88 के अधीन अस्थायी/ विशेष अनुज्ञापत्र, उस क्षेत्र के लिए जहा अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया है / प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है	
		सात दिनों तक	प्रत्येक पश्चात्पूर्ती सप्ताह या
		सात दिनों तक	प्रत्येक पश्चात्पूर्ती सप्ताह या

			उसके भाग के लिए ।		उसके भाग के लिए ।
	(i) जीप मजिली गाड़ी	50 / रूपए	25 / रूपए	25 / रूपए	20 / रूपए
	(ii) अन्य मंजली गाड़ी और प्राईवेट (निजी) सेवा यान	100 / रूपए	50 / रूपए	25 / रूपए	20 / रूपए
IV	(घ) अस्थाई अनुज्ञापत्र की द्विप्रतीक प्रति के लिए	30 / रूपए			

		परन्तु भारत में विदेशी राजदूतावासों को उनके अपने स्वामीत्वाधीन परिवहनयानों की बावत जारी किए गए अनुज्ञापत्र के लिए कोई फीस संदेय नहीं होगी ;
		(2) फीस, उस अवधि के लिए जिसके लिए अनुज्ञापत्र जारी किया गया है, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी को अग्रिम में संदत की जाएगी।
		(3) अनुज्ञापत्र के लिए फीस प्राप्त करने वाला या अनुज्ञापत्र को प्रतिहस्ताक्षरित करने वाला क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, अनुज्ञापत्र के प्रत्येक भाग -ख के लिए प्ररूप हिमाचल प्रदेश 34 आर. पी.एफ. में अलग रसीद तैयार करेगा जो फीस देने वाले व्यक्ति को परिदत की जाएगी।
		(4) यदि, अनुज्ञापत्र तत्पश्चात रद्द कर दिया जाता है, तो अनुज्ञापत्र के लिए संदत फीस संपहत हो जाएगी।”।
नियम 113 का प्रतिस्थापन	5	“उक्त नियमों” के नियम 113 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात:-
		“113—अनुज्ञापत्र के लिए फीस— नियम 110 और 112 के अधीन अनुज्ञापत्र प्रदान करने या नवीकृत करने के लिए फीस निम्नलिखित होगी।

क्रम संख्या	विशिष्टियां	फीस
(क)	मूल अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए	रूपए 500 /—
(ख)	प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन या उप-अभिकरण के लिए अनुपूरक अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए	रूपए 100 /—
(ग)	यदि आवेदन समय पर किया गया है तो अनुज्ञापत्र के नवीकरण के लिए	
	(i) मूल अनुज्ञापत्र	रूपए 200 /—
	(ii) प्रत्येक अतिरिक्त स्थापन या उप-अभिकरण के लिए अनुपूरक अनुज्ञापत्र	रूपए 100 /—
(घ)	यदि आवेदन समय पर न किया गया हो, परन्तु अनुज्ञापत्र के अवसान से पूर्व किया गया है तो अनुज्ञापत्र के नवीकरण के लिए शास्ति	
	(1) मूल अनुज्ञापत्र	
	(क) यदि आवेदन 7 दिन के विलम्ब से किया गया है	रूपए 50 /—
	(ख) यदि आवेदन 7 दिन से अधिक किन्तु 14 दिन से अनधिक के विलम्ब से किया गया है	रूपए 60 /—

	(ग) यदि आवेदन 14 दिन से अधिक किन्तु 21 दिन से अनधिक के विलम्ब से किया गया है	रुपए 80 / -
	(घ) यदि आवेदन 21 दिन से अधिक किन्तु 30 दिन से अनधिक के विलम्ब से किया गया है	रुपए 200 / -
	<b>(ii) अनुपूरक अनुज्ञप्ति</b>	
	(क) यदि आवेदन 15 दिन के विलम्ब से किया गया है	रुपए 20 / -
	(ख) यदि आवेदन 15 दिन से अधिक किन्तु 30 दिन से अनधिक के विलम्ब से किया गया है	रुपए 30 / -
	<b>टिप्पणः</b> —इन नियमों में पद “मूल अनुज्ञप्ति” से माल वाहनों द्वारा वहन किए गए माल के संग्रहण , अग्रेषण या वितरण के कराबार में लगे हुए किसी व्यक्ति के मुख्यालय हेतु अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है और “अनुपूरक अनुज्ञप्ति” से शाखा कार्यालय हेतु अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ।”।	

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (परिवहन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार

(Authoritative English Text of this department notification NO. TPT-A(2)2/2003-Part-II , dated 15/03/2012 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh  
Department of Transport.

NO: TPT-A(2)2/2003-Part-II

Dated: Shimla-2 the 15/03/2012.

### “NOTIFICATION”

Whereas the draft Himachal Pradesh Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2012 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on dated 08/02/2012, vide notification of even number dated 06/02/2012 in pursuance of the provision of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act NO. 59 of 1988) for inviting objections and suggestion from person(s) likely to be affected thereby, within a period of 07 days from the date of publication;

And , whereas no objection / suggestion was received from the general public on the said draft rules;

And, whereas the said rules were finally notified vide this department notification of even number dated 15/02/2012 as published in Rajpatra, Himachal Pradesh on dated 15/02/2012;

And, whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the view that the rates , which were prevalent prior to notifying the rules supra are to be charged , in public interest.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988, (Act NO:59 of 1988), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:-

Short title	1	These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2012.
Substitution of rule 67.	2.	For rule 67 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999 (hereinafter referred to as the "said rules"), the following shall be substituted, namely :-
		<b><u>"67. Application fee for countersignatures, grant or renewal of permit</u></b> :- Application for countersignatures, grant or renewal of a permit under the Act shall be accompanied by cash receipt or a treasury challan showing the deposit of following fees, namely:-

Sr No	Category of vehicle	Temporary permit	Regular Permit
i	(i) Light (Goods) motor vehicles	₹10.00	₹20.00
ii	(ii) Medium/heavy (Goods) motor vehicles	₹25.00	₹50.00
iii	iii) Contract Carriage cabs/ autorickshaws	₹10.00	₹20.00
iv	iv) Contract Carriage maxi-cabs	₹15.00	₹30.00
v	v) Contract Carriage buses	₹25.00	₹50.00
vi	vi) Jeeps stage carriage (seating capacity upto 12 passenger	₹10.00	₹20.00



	excluding driver) for each region		
<b>vii</b>	Other stage carriage and private service vehicles for each region	₹25.00	₹100.00
<b>viii</b>	Special permit fee under section 88(8) of the Act.	₹10.00	

	Provided that no fee shall be payable for a permit issued to Foreign Embassies in India in respect of transport vehicles owned by them.
	(2) A Regional Transport Authority receiving a fee for an application for a permit or the countersignature of a permit shall prepare a separate receipt in Form HP XXXIV RPF which shall be delivered to the person tendering the fees.

Substitution of rule 68.	3.	For rule 68 of the said rules, the following shall be substituted, namely :-
		<b>“68. Fees for permits and countersignatures-</b> (1) - The following fees shall be payable for the issue , renewal and for countersignatures of permit under the Act, namely:-

Particular of vehicles	Permit for grant/ renewal/ countersignature.	
	Regular first year	Each subsequent year.
(a) GOODS CARRIAGE		
(i). Light Goods Vehicle	₹ 200/-	₹125/- (₹. 700 for five year)
(ii) Medium/ Heavy Goods Vehicles	₹300/-	₹ 250/- (₹ 1300 for five year)
(b) CONTRACT		

CARRIAGE					
(i) Taxi cabs/ Autorickshaws	₹ 200/-			₹ 125/- (₹ 700 for five year)	
(ii) Maxi cabs	₹ 250/-			₹ 150/- (₹ 850 for five years)	
(iii) Contract Carriage buses	₹ 300/-			₹ 250/- (₹ 1300/- for five year)	
(c) A vehicle other than goods and contract carriages	Permit fee for grant/ renewal/ countersignatures				
	Permit fee for the region in which permit is granted/ renewed/ countersigned			Additional fee for each region for which permit is granted/ renewed/ countersigned	
	1 <sup>st</sup> year	Each subsequent year		1st year	Each subsequent year
(i) Jeep Stage Carriages	₹ 200	₹ 125		₹ 125	₹ 100
(ii) Other stage carriage and private service vehicles.	₹ 300	₹ 250		₹ 200	₹ 125

		<p>Provided that where a temporary permit is granted pending consideration of an application for a permit under section-70, or section-73, or section-76, or section-77, Regional Transport Authority may, in its discretion and subject to such directions, if any, as may be issued by the State Transport Authority , at the time of granting a regular permit direct that a sum equal to a part or the whole of any fee paid, for the temporary permit shall be deducted from the fee payable for the regular permit:</p>
		<p>Provided further that in the case of service of stage carriage, the permit fee shall be charged on the basis of number of vehicles to be specified in the permit and accordingly numbers of parts B of the permit shall be issued.</p>
		<p>Explanation:-</p>
		<p>(1) The expression “regular permit” used in this rule means a permit issued after consideration of an application in accordance with the provisions of the Act.</p>

		(2) Fees shall be paid in advance to the Regional Transport Authority for the period for which the permit is issued.
		(3) A Regional Transport Authority receiving a fee for a permit or the countersignature of a permit shall prepare a separate receipt in Form HP XXXIV RPF for each part B of the permit which shall be delivered to the person tendering the fee.
		(4) The fee paid for a permit shall stand forfeited if the permit is subsequently cancelled.

Substitution of rule 69.	4.	For rule 69 of the said rules, the following shall be substituted, namely :-
		<b><u>69. Fees for temporary permits:-</u></b> (1) - The fees in respect of a temporary permit or countersignatures of a temporary permit shall be as under:-

Sr No	Category of vehicle	Permit fee for grant/ countersignature of Temporary and Special permit	
		upto seven days	Each subsequent week or part thereof.
i	(a) Goods carriage vehicles		
	(i) Light (Goods) motor vehicles	₹50/-	₹25/-
	(ii) Medium/heavy (Goods) motor vehicles	₹60/-	₹30/-
ii	(b) Contract Carriage vehicles.		
	(i) Contract Carriage cabs/ autorickshaws	₹25/-	₹15/
	(ii) Contract Carriage maxi-cabs	₹50/-	₹25/-
	(iii) Contract Carriage buses	₹75/-	₹30/-
iii	(c) Vehicles other than goods and contract carriages	Temporary/ special permit under section 87 and or 88 for the region where permit is granted/	Additional fee for each region for which the permit is granted/ countersigned.

		countersigned.			
		Upto 7 days	Each subsequent week or part thereof.	Upto 7 days	Each subsequent week or part thereof
	(i) Jeeps stage carriage	₹50/-	₹25/-	₹25/-	₹20/-
	(ii) Other stage carriage and private service vehicles	₹100/-	₹50/-	₹25/-	₹20/-
<b>iv</b>	(d) For a duplicate copy of temporary permit	₹30/-			

		Provided that no fee shall be payable for a permit issued to Foreign Embassies in India in respect of transport vehicles owned by them.
		(2) Fees shall be paid in advance to the Regional Transport Authority for the period for which the permit is issued.
		(3) A Regional Transport Authority receiving a fee for an application for a permit or the countersignature of a permit shall prepare a separate receipt in Form HP XXXIV RPF for each Part B of the permit which shall be delivered to the person tendering the fees.
		(4) The fee paid for a permit shall stand forfeited if the permit is subsequently cancelled.

Substitution of rule 113.	5.	For rule 113 of the said rules, the following shall be substituted, namely :-
		<b>“113. Fees for a license-</b> The fees for the grant or renewal of license under rules 110 and 112 shall be as follows:-

Sr No	Particulars	Fee.
<b>A</b>	<b>For the grant of Principal License</b>	<b>₹ 500.00</b>

<b>B</b>	<b>For the grant of Supplementary License for each additional establishment or sub-agency</b>	<b>₹100.00</b>
<b>C</b>	<b>For Renewal of a License if application is made in time</b> <b>(i) Principal License</b> <b>(ii) Supplementary License for each additional establishment or sub agency</b>	<b>₹ 200.00</b> <b>₹ 100.00</b>
<b>D</b>	Penalty for renewal of a license if application is not made in time but is made before the expiry of license - <b>(i) Principal License</b> <b>(a) If application is made late by seven days</b> <b>(b) If application is made late by more than seven days, but not more than fourteen days</b> <b>(c) If application is made late by more than fourteen days, but not more than twenty-one days.</b> <b>(d) If the application is made late by more than twenty-one days, but not more than thirty days.</b> <b>(ii) Supplementary License-</b> <b>(a) If the application is made late by fifteen days</b> <b>(b) If the application is made late by more than fifteen but not more than thirty days</b>	<b>₹ 50.00</b> <b>₹ 60.00</b> <b>₹ 80.00</b> <b>₹ 200.00</b> <b>₹ 20.00</b> <b>₹ 30/-</b>

**Note:-** In this rule, the expression “Principal License” means a license for the headquarters of a person engaged in the business of collecting, forwarding or distributing goods carried by goods carriages and “Supplementary License” means a license which his for a branch office”.

BY ORDER

Principal Secretary(Transport) to the  
Government of Himachal Pradesh.